अपर समाहर्त्ता का न्यायालय, दुमका।

रे0मि0 अपील सं0 17/11-12

रासमुनी देवी.....अपीलकर्त्ता

बनाम

सुखी मुर्मू.....उत्तरकारी

।।आदेश।।

यह रे0मि0 अपील वाद सं0 17/11-12 रासमुनी देवी बनाम सुखी मुर्मू सा0 सिमलदूमा अंचल-जामा के बीच अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के रे0मि0 वाद सं0 293/99-2000 में पारित आदेश दिनांक 27.11.2000 के विरूद्ध में दायर किया है।

अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि उभय पक्ष लगातार कई तिथियों से न्यायालय में बिना कारण बताए अनुपस्थित हैं। उभय पक्षों को दिनांक 07.06.17 को न्यायालय में उपस्थित होकर पक्ष प्रस्तुत करने हेतु नोटिश निर्गत किया गया। नोटिश बिना तामिला का वापस किया गया है, जिसमें प्रक्रिया पालक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अपीलकर्त्ता के नाम का कोई व्यक्ति इस ग्राम में नहीं रहता है। तथा उत्तरकारी को निर्गत किया गया नोटिश में प्रतिवेदित है कि उत्तरकारी का अता पता नहीं चला, नाम पता गलत है।

इस प्रकार उभय पक्षों का पता न मिलने के कारण नोटिश को बिना तामिला का वापस किया गया है। उभय पक्ष लगातार कई तिथियों से न्यायालय में अनुपस्थित है, इससे स्पष्ट होता है कि उभय पक्षों को इस वाद में कोई अभिरूचि नही है।

अतः उभय पक्षो की लगातार अनुपस्थित एवं वाद में अभिरूचि के अभाव के कारण वाद की कार्रवाई बिना विचारण के समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्त्ता, दुमका।

अपर समाहर्त्ता, दुमका।

ज्ञापांक 32 /डी0बी0, दुमका दिनांक 7/10/17

प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका को आदेश की प्रति के साथ सूचनार्थ प्रेषित। प्राप्त निम्न न्यायालय का अभिलेख सं0 आर0एम0 293/99-2000 रासमनी देवी का मूल में संलग्न कर भेजा जाता है।

अपर समाहर्त्ता, दुमका।